मांगीलाल बनाम सरकार
95/2021
निर्णय दिनांक : 09.05.2023

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 95/2021

दर्ज तिथि :– 02.08.2021

श्री मांगीलाल पिता नन्दा धाकड़ निवासी जमालखेडा, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

...............अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि :– 20.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या–55 वाके ग्राम जमालखेडा, पटवार हल्का, बाडी तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
श्री मांगीलाल कनीराम पिता नन्दा 1/15 शेष बदस्तुर	21	4.30 है0
	44	2.51 है0
	47	1.59 है0
	50	0.71. है0
कुल किता–04		9.11 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:51 IST
Reason: SelfAttested

2. उक्त आराजियात में से श्री कनीराम ने अपने [illegible] हिस्से की भूमि में से 0.18 हैक्टेयर भूमि श्री रामचन्द्र, रतनलाल पिता मुन्नालाल धाकड़ को विक्रय कर दी जो कुल रकबे 9.11 हैक्टेयर का 1/50 [illegible] अमल दरामद ग्राम जमालखेडा की नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 12.01.2015 द्वारा जमाबंदी संवत 2068–2071 की खाता संख्या 55 पर किया गया। तत्पश्चात् कनीराम ने अपने शेष रहे हिस्से में से 0.12 हैक्टेयर भूमि जो कुल रकबे 9.11 का 1/75 वां हिस्सा है को अपने सगे भाई श्री मांगीलाल के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया। जिसका अमल दरामद ग्राम जमालखेडा की नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 24.08.2014 द्वारा जमाबंदी संवत 2068–2071 की खाता संख्या 55 पर किया गया। इस प्रकार वादी मांगीलाल का पूर्व दर्ज हिस्सा 1/30 एवं

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

हकत्याग से प्राप्त 1/75 हिस्सा मिलाकर कुल हिस्सा 35/750 दर्ज रिकार्ड हुआ। जमाबंदी की नकल पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में से कनीराम ने अपने हिस्से 1/30 में से 1/50 हिस्सा विक्रय द्वारा एवं 1/75 हिस्सा हकत्याग द्वारा स्थानान्तरित कर दिया एवं अब कनीराम का वादग्रस्त आराजियात में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा।

3. परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से संवत 2072–2075 की जमाबंदी रोटेशन में प्रार्थी मांगीलाल के बजाए सम्पूर्ण आराजियात पुनः कनीराम पिता नंदा धाकड 1/30 के रूप में दर्ज कर दिया गया और प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। जबकि कनीराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाना था और प्रार्थी मांगीलाल पिता नंदा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना था। इसलिए नवीन राजस्व रिकार्ड में कनीराम पिता नंदा के बजाय प्रार्थी मांगीलाल पिता नंदा धाकड 35/750 के रूप में नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं तथा कनीराम पिता नंदा धाकड का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्सा पूर्ववत दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

5. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी का संवत 2068–2071 की जमाबंदी में विवरण निम्नानुसार था :

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
श्री मांगीलाल कनीराम पिता नन्दा 1/15 शेष बदस्तुर	21	4.30 है0
	44	2.51 है0
	47	1.59 है0
	50	0.71. है0
कुल किता–04		9.11 हैक्टेयर

प्रार्थी मांगीलाल ने अपने भाई कनीराम के हिस्से 1/30 मे से 1/75 वां हिस्सा रजिस्टर्ड हकत्याग से प्राप्त किया जिसका नामा.संख्या 33 दिनांक 24.08.2014 द्वारा जमाबंदी संवत 2068–2071 की खाता संख्या 55 पर अमल दरामद किया जाकर प्रार्थी का कुल हिस्सा 1/30 + 1/75 कुल 35/750 यानि 7/150 दर्ज रिकार्ड हुआ। इसमें से प्रार्थी मांगीलाल का हिस्सा 1/30 नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 24.08.2014 द्वारा विनिमय से श्री रामचन्द्र रतनलाल पिता नाना 1/30 के नाम जमाबंदी संवत 2068–2071 की खाता संख्या 55 पर अमल किया गया। इस प्रकार अब मांगीलाल का हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में 1/75 की शेष रहा जो कि उसने अपने भाई कनीराम से हकत्याग द्वारा प्राप्त किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:51 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में संलग्न जमाबंदी संवत 2072–2075 की खाता संख्या 62 में निम्नानुसार अंकन पाया गया

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
श्री कनीराम पिता नन्दा 1/30 शेष बदस्तुर	21	4.30 है0
	44	2.51 है0
	47	1.59 है0
	50	0.71. है0
कुल किता–04		9.11 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

कनीराम ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि विक्रय/हकत्याग कर दी थी। लेकिन सहवन से वादग्रस्त आराजियात में पुनः कनीराम का 1/30 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हो गया। अतः वर्तमान में कनीराम के दर्ज हिस्से 1/30 में से 1/75 वां हिस्सा जो वादी के पक्ष में हकत्याग किया गया था वादी श्री मांगीलाल पिता नन्दा धाकड के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

<u>आदेश है कि</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पूर्व रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जमालखेडा, पटवार मण्डल बाडी की वादग्रस्त आराजियात आ.नं. 21 रकबा 4.30 है., आ.नं. 44 रकबा 2.51 है., आ.नं. 47 रकबा 1.59 है. तथा आ.नं. 50 रकबा 0.71 है. कुल किता 4 कुल रकबा 9.11 है. में कनीराम पिता नन्दा 1/30 के बजाय मांगीलाल पिता नन्दा धाकड सा. जमालखेडा 1/75 एवं रामचन्द्र रतनलाल पिता नानालाल 1/50 धाकड राजस्व रिकॉर्ड में संधारित करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को दिये जाते हैं। शेष राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:51 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

20/7/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा